भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 877
21 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई के तहत घरों के आकार

877. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान बहुत छोटे और चार लोगों के परिवार के लिए असुविधाजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मकानों का आकार 25 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 30 वर्ग मीटर करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण पीएमएवाई के तहत निर्धारित इकाई लागत पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इकाई लागत में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के आवासों का आकार पहले से ही 30 वर्ग मीटर तक है।

(ग) 'भूमि' और कॉलोनीकरण' राज्य के विषय होने के कारण, यह राज्यों /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है कि वे अपने नागरिकों की आवासीय जरूरतों को पूरा करें । पीएमएवाई (यू) के माध्यम से केंद्र सरकार, आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक सक्षम वातावरण सृजित करती है और स्कीम दिशानिर्देशों में परिकल्पना किए अनुसार प्रति आवास उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है । केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धनराशि जुटाकर परियोजना प्रस्तावों की योजना बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) जी, नहीं ।

*****